अम्बेडकर और नारी

डॉ0 नीता
एसोसिएट प्रोफेसर–इतिहास विभाग
नारी शिक्षा निकेतन
स्नातकोत्तर महाविद्यालय
लखनऊ

भारतीय समाज में प्राचीन काल से ही सभी वर्णों की नारियों की स्थिति अत्यन्त ही दयनीय थी जिसकी पुष्टि **तुलसीदास के रामचरितमानस की चौपाई– 'ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी। सकल ताड़ना के अधिकारी'** से होती है। भारतीय धर्मशास्त्रों में स्त्री और शूद्र दोनों को अछूत माना गया है। वास्तव में भारत में सम्पूर्ण महिला जाति की गुलामी का सवाल हो या दलित महिलाओं की गुलामी का सवाल, या फिर उन्हें सामाजिक और अन्य प्रकार के मानवीय अधिकारों से वंचित रखने की बात हो इसके लिए धर्म नाम की संस्था और ईश्वर नाम की संकल्पना का बड़ा ही प्रयोग किया गया।

भारतीय समाज में सामाजिक मान्यताओं के बंधन और पुरूष समाज की अधिकार प्राप्त प्रवृत्ति के चलते नारी और दलित नारी की स्थिति काफी दयनीय रही हैं। बाबा साहेब डॉ0 भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय समाज में नारी और दलित नारी की दयनीय और दुरावस्था को पहचाना। उनका मानना था कि समाज के उन्नत होने का मापदण्ड उस समाज के पुरूष न होकर स्त्रियां होती है यही प्रमुख कराण रहा कि उन्होंने कर्त्तव्यों के बोझ तले दबी छटपटाती नारी, दलित नारी को शोषण से मुक्त कराने असमानता को दूर करने, अस्मिता की रक्षा, अधिकारों की प्राप्ति एवं अन्य मौचों पर किए जाने वाले आन्दोलनों को गति प्रदान करने, उसे नई दिशा देने व अनेकानेक सुविधाएँ दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की।[1]

भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर एक महान ज्ञानवेत्ता, समाज सुधारक, नारी मुक्तिदाता, मजदूर वर्ग के विधाता एवं संघर्ष की अद्भुत मिसाल थे। जीवन के कटु अनुभवों ने उनके मन में हिन्दू समाज व्यवस्था के प्रति घृणा पैदा कर दी थी। डॉ0 अम्बेडकर ने समाज में दो प्रकार के सुधारो को महत्व दिया। एक तो हिन्दू परिवार के स्तरपर, दूसरा हिन्दू समाज के स्तर पर/बाल विवाह विधवा विवाह एवं सती प्रथा आदि हिन्दू परिवार से सम्बंधित थे। इसके अतिरिक्त शिक्षा, छुआछूत, जातिव्यवस्था, विवाह, दत्तक गृहण, संपत्ति से सम्बंधित नियमों में सुधार, समाज से सम्बन्धित थे। बाबा साहब ने परिवार के स्तर से लेकर समाज के स्तर तक हर क्षेत्र में सुधार लाने का प्रयत्न किया।[2] स्त्रियों को सभी अधिकारों से वंचित किया गया था। राजनैतिक सामाजिक, धार्मिक सभी अधिकारों में वह पुरूष के बहुत पीछे थीं। क्योंकि मनु ने स्त्रियों के सभी अधिकार छीन लिए थे।[3]

"न तड़पने की इजाजत है, न फरियाद की है।

घुट कर मर जाऊं यह मरजी मेरे सैय्याद की है।।[4]

डॉ0 अम्बेडकर ने सामाजिक समानता के लिए दलितों की लड़ाई में पुरूषों के साथ महिलाओं को भी सम्मलित किया। उनका कहना था कि

समाज की उन्नति के लिए पुरूषों के साथ महिलाओं को भी आगे आना चाहिए।[5]

19–20 मार्च, 1927 को महाड़ के चावदार तालाब से पानी लेने के लिए डॉ0 अम्बेडकर ने दलितों का नेतृत्व किया। उनके आह्वान पर काफी संख्या में दलित महिलाओं ने महाड़ के अतिरिक्त नाजिक के कालाराम मंदिर पूना, मद्रास आदि स्थानों पर मंदिरों में दलितों को प्रवेश दिए जाने में भाग लिया। भूमिहीन कृषकों को भूमि दिलाए जाने के लिए भी महिलाओं ने भाग लिया। आन्दोलनों में जिन महिलाओं ने भाग लिया उनमें शांताबाई दाणी, गीताबाइ गायकवाड़ तथा मीनांबल शिवराज के नाम उल्लेखनीय है।[6] डॉ0 अम्बेडकर का नारी के प्रति दृष्टिकोण यर्थाथ, भौतिक एवं वैधानिक अधिक था। डॉ0 अम्बेडकर नारी को पुरूष के समान अधिकार दिलाकर समाजिक समानता चाहते थे।

27 दिसम्बर, 1927 को अस्पृश्य महिलाओं को सम्बोधित करते हुए डॉ0 अम्बेडकर ने कहा–जिस प्रकार घर गृहस्थी की समस्याएँ पति–पत्नी मिलकर सुलझाते हैं वैसे ही समाज की समस्याएँ भी स्त्री–पुरूषों द्वारा मिलकर सुलझानी चाहिए। आप पुरूषों की जन्मदाता हैं।

16 अगस्त, 1936 को डॉ0 अम्बेडकर ने वैश्याओं को सम्बोधित करते हुए कहा कि ''यदि आप हम सबके साथ चलना चाहती हैं तो अपनी जीवन पद्धति बदलें। आप विवाह कर समाज की अन्य महिलाओं की भांति सम्मानपूर्वक पारिवारिक जीवन व्यतीत करे। वैश्यावृत्ति के घृणित जीवन के अलावा आजीविका कमाने के सैकड़ों अन्य साधन हैं। जब तक आप वैश्यावृति धृणा स्पद जीवन का प्रतित्याग नहीं करती तब तक आपको समाज में उचित सम्मान नहीं मिलेगा।''

20 जुलाई, 1942 को नागपुर में अखिल भारतीय दलित महिला अधिवेशन को सम्बोधित करते हुए डॉ0 अम्बेडकर ने दलित महिलाओं से कहा कि किसी भी समाज की प्रगति का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि इस समाज में महिलाओं ने कितनी प्रगति की हैं। उन्होंने कहा कि ''विवाह की जल्दी ना करें। विवाह एक बोझ हैं। जो लड़की विवाह करती है वह अपने पति से मित्रता का दावा करे, दासी बनने से इनकार कर दे। ऐसा करने से पूरे समाज का सम्मान बढ़ेगा।[7] डॉ0 अम्बेडकर ने नागपुर में उसी पंडाल में दो और कांफ्रेसों को सम्बोधित किया। एक कांफ्रेस दलित महिलाओं की थी जिसकी अध्यक्षता अमरावती की श्रीमती सुलोचना बाई डोगंरे ने की। उन्होंने अपने भाषण में कहा, 'मेरा मत है कि महिलाओं को संगठन बनाना चाहिए। आप साथ–सुथरा रहना सीखें। बुराईयों से दूर रहें। बच्चों को शिक्षा दें। उन्होंने कहा कि स्त्रियों को अब पराधीन बने रहने से इंकार करना चाहिए।[8]

डॉ0 अम्बेडकर चाहते थे कि हिन्दुओं का कोई एक समान पर्सनल लाँ होना चाहिए, ताकि समाज की बुराईयाँ भी दूर हो सकें। इस लिए उन्हें एक बिल बनाने की जरूरत पड़ी जो स्त्रियों को मानवाधिकार देने की संस्तुति करता हैं, वह चाहते थे कि हिन्दू कोड बिल बन जाने से समाज में छोटी–छोटी बातों पर पति विवाहित पत्नियों को तुरन्त त्याग देते थे, उस बिल के बन जाने से पत्नियों को तुरन्त त्याग देने का रिवाज भी समाप्त हो जायेगा।[9] वह हिन्दू कोड बिल बनाकर लाखों निरीह महिलाओं को जालिम पतियों के चंगुल से छुडाकर समाजिक न्याय दिलाना चाहते थे।[10] डॉ0 अम्बेडकर ने नारियों के उत्थान के लिए सन् 1927 से 1956 तक सतत प्रयाय किया।

जुलाई, 1928 में डॉ0 अम्बेडकर का नाम विधान परिषद के लिए अनुमोदित किया गया। 28 जुलाई को उन्होंने विधान सभा में कामकाजी महिलाओं के लिए प्रसूति लाभ विधेयक रखा।[11] यह विधेयक केवल कारखानों पर लागू किया गया था, अन्य उद्योगों अथवा कृषिगत व्यवसायों पर नहीं। डॉ0 अम्बेडकर ने कहा, कि यह विधेयक बम्बई प्रेसीडेंसी में ही नहीं लागू होगा, बरन् सम्पूर्ण भारत में लागू होगा।

डॉ0 अम्बेडकर के अधीन श्रम मंत्रालय के कोयला, अभ्रक, नमक, हीरा और स्वर्ण आदि खानें थी। इनमें कोयला खानों के मजदूरों की स्थिति पशुओं के समान थी। यद्यपि खानों में स्त्री मजदूरों के भूमिगत काम करने पर 1929 से प्रतिबंध था किन्तु इसे लागू नहीं किया गया।

1 जुलाई, 1937 को एक बार फिर स्त्री मजदूरों ने मांग की कि स्त्रियों के भूमिगत काम पर लगे प्रतिबन्ध का अमल किया जाए किन्तु ध्यान नहीं दिया गया। डॉ0 अम्बेडकर ने सेक्रेटरी आफ स्टेट को लिखा कि खानों में स्त्री मजदूरों के काम करने पर प्रतिबंध लगाया जाए। जुलाई,1923 में खानों में प्रसूति लाभ विधेयक पास किया गया।[12] इसके अनुसार महिलाओं को 8 सप्ताह का अवकाश देने का प्रस्ताव रखा गया। 8 फरवरी, 1944 को विधान सभा मे डॉ0 अम्बेडकर ने स्त्रियों का कोयले की खानों में कार्य करने पर प्रतिबन्ध लगाने से सम्बंधित प्रस्ताव रखा। 11 अप्रैल, 1945 को डॉ0 अम्बेडकर ने विधान सभा मे प्रस्ताव रखा कि गर्भवती स्त्रियाँ जमीन के नीचे खानों में काम न करें।[13]

डॉ0 अम्बेडकर ने अपने श्रममंत्री के कार्यकाल में अनेक सुधार किए। 1944 में खानों के अन्दर और समस्त खनिज क्षेत्रों के भूतल पर काम करने वाली स्त्री खनिकों के बच्चों की देखभाल के लिए कार्य के दौरान विशेष इंतजाम किए। कुछ खानों में स्त्री परिचरों के साथ शिशु गृह की भी व्यवस्था की गई। इन खानों में काम करने वाले श्रमिकों के बच्चों के लिए प्राथमिक विद्यालय खोले गए। श्रम विभाग की ओर से तकनीकी केन्द्र खोले गये जो बाद में पालिटेक्निक में विकसित हुए। 1 फरवरी, 1946 से महिलाओं को कोयला खानों में काम करने से रोक दिया गया और उन्हें कोयला खानों के भूमिगत सतह का काम दिया गया।[14]

11 अप्रैल, 1947 को डॉ0 अम्बेडकर ने लोक सभा में हिन्दू कोड बिल पेश किया। उन्होंने भारतीय समाज में नारी को पुनः प्रतिष्ठित करने हेतु यह बिल तैयार किया था।[15] इसके 9 भाग थे, इसमें 139 धाराएँ और 7 सूचियाँ थी। इस बिल में स्त्री को विवाह विच्छेद, अल्पायु में विवाह पर प्रतिबंध, जीवन साथी चुनाव एव अंतर्जातीय विवाह का अधिकार, संपत्ति में बेटे के बराबर बेटी का अधिकार तथा गोद लेने एवं संरक्षता के अधिकार का प्रावधान था।

हिन्दू कोड बिल को लेकर उस समय संसद एवं संसद के बाहर काफी विवाद हुआ। डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद, डॉ0 पट्टाभिसीतारामय्या, बल्लभभाई पटेल, के0एम0 मुंशी आदि ने हिन्दू कोड बिल का विरोध किया।[16] दिसम्बर, 1949 में पं0 जवाहर लाल नेहरू ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हिन्दू कोड बिल का पारित होना या न होना सरकार पर विश्वास या अविश्वास का मुददा बन सकता है। ऐसा सरकार का विचार हैं।

श्रीमती कमला चौधरी जो हिन्दू कोड बिल की सिलेक्ट कमेटी की सदस्य थीं, उन्होंने अंसेबली के अन्दर इस हिन्दू कोड बिल बनाने के लिए बाबा साहब को बहुत–बहुत बधाई दी और सभा को संबोधित करते हुए कहा कि यह बिल समय के अनुकूल ही इस हाऊस में आया हैं।[17] महिला समाज के लिए, हमारे भारतीय समाज की प्रगति के लिए, यह बिल एक रामबाण की तरह साबित होगा और इससे हमारे महिला समाज का जो शताब्दियों से अधः पतन को प्राप्त हो रहा है, कल्याण होगा। इस बिल के विरोध में धर्म की दुहाई देकर, भारतीय संस्कृति की दुहाई देकर जो लोग विरोध कर रहे हैं कि पुरूष एक स्त्री होते हुए दो या अनेक विवाह न करे। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे भाई जो विरोध कर रहे हैं उनके ऊपर भी यह प्रतिबंध लग जाएगा।

श्रीमती चौधरी ने कहा कि स्त्रियों के सामाजिक, मानसिक और आर्थिक अधिकारों पर प्रतिबंध रहता है। इस बिल में जिसमें पिता की सम्पत्ति में बालिका को भी लड़के के बराबर अधिकार दिया जाने वाले है जिसका लोग विरोध कर रहे हैं, इस सम्पत्ति के अधिकार से हमारी

सामाजिक, सांस्कृति एवं धार्मिक मर्यादा छिन्न–भिन्न नहीं होगी। उन्होंने बाबा साहब का आभार व्यक्त किया और कहा कि वह नारी समाज की तरफ से यह विश्वास दिलाना चाहतीं हैं कि जो नारियां इसको समझ सकी हैं, वह इसका हृदय से स्वागत करेंगी और भविष्य में नारी–समाज इस बिल के पास करने का आभार मानेगीं।

डॉ0 अम्बेडकर के अथक प्रयत्नों के बावजूद दिसम्बर, 1950 तक हिन्दू कोड बिल संसद में पेश न हो सका। फरवरी, 1951 में डॉ0 अम्बेडकर ने एक लेख, 'हिन्दू नारी का उथान व पतन' में लिखा की हिन्दू नारी को विद्या एवं ज्ञान, प्राप्ति से दूर रखा गया था। भारत में नारी के पतन का जिम्मेदार मनु को ठहराया।

16 अगस्त, 1951 को हिन्दू कोड बिल संसद में पेश किया गया।[18] कई दिनों तक बहस होती रही। पंडित जवाहर लाल नेहरू ने हिन्दू कोड बिल के दूसरे भाग जो विवाह और तलाक से ही सम्बंधित था, को ही पेश करने दिया। 25 सितम्बर, 1951 को यह पास कर दिया गया। इससे हिन्दू आपे से बाहर हो गए। सरदार पटेल और डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद ने खुलकर विरोध किय। अन्त में 26 सितम्बर, 1951 को जवाहर लाल नेहरू ने इस बिल को बिना पास हुए वापस ले लिया। डॉ0 अम्बेडकर को बहुत दुःख हुआ। यह बिल 11 अप्रैल, 1947 को प्रस्तुत किया गया था। चार वर्ष तक उस पर चर्चा होती रही। दूसरी चार धाराएँ पास करने के बाद भी उस बिल की हत्या कर दी गई जिसका किसी को भी खेद नहीं हुआ। हिन्दू कोड बिल पूरा पास न होने से डॉ0 अम्बेडकर का स्वप्न भंग हो गया जिसमें उन्होंने एक ऐसा भारत देखा था। जो कि न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की सौगात लाने वाला था। डॉ0 अम्बेडकर चाहते थे कि हिन्दू समाज–व्यवस्था में ऐसी समानता स्थापित करे जहाँ स्त्री–पुरूष ऊँच–नीच, छोटा–बड़ा जैसे भेदभाव न हो। डॉ0 अम्बेडकर ने दुःखी होकर 28 सितम्बर, 1951 को मंत्रिमण्डल से त्याग पत्र दे दिया।

हिन्दू कोड बिल को कानूनी रूप दिये जाने की खातिर यह विधेयक मंत्रिमण्डल में बना रहा और आगे चलकर चार खण्डों में विभक्त होकर पारित हुआः–

1. द हिन्दू मैरिज एक्ट 1955।
2. द हिन्दू सक्सेशन एक्ट 1956।
3. द हिन्दू माइनारिटी एण्ड गार्जियनशिप एक्ट 1956 और
4. द हिन्दू एडोप्शन एक्ट 1956।

द हिन्दू मैरिज एक्ट 1955 ने एक विवाह को वैधता दी, दूसरे विवाह के लिए कानून दण्ड का प्रावधान एवं कन्या की विवाह की आयु 18 वर्ष कर दी गई।

द हिन्दू एक्सेशन एक्ट 1956 में एक विधवा को भी पुत्र या पुत्री गोद लेने का अधिकार दिया गया। अपनी सम्पति को भी वह जिसकों चाहे दे सकती है।

द हिन्दू माइनारिटी एण्ड गार्जियनाशिप एक्ट, 1956 के द्वारा माँ को अधिकार हैं कि वह अपने बच्चे के संरक्षक बदल सकें। ना बालिग बच्चे का संरक्षक नियुक्त करने में पत्नी की अनुमति आवश्यक है।

द हिन्दू एडोप्शन एक्ट 1956 द्वारा गोद लेने में लड़का या लड़की किसी को भी ले सकते है। एक स्त्री अपने जीवन में किसी बच्चे को भी गोद ले सकती है। अविवाहित लड़की या विधवा को भी गोद लेने का अधिकार दिया गया।

डॉ0 अम्बेडकर ने स्त्रियों को कानूनन पुरूषों के बराबर अधिकार दिलवा कर उनमें नई चेतना की ज्योति जलाई। स्त्रियों को सामाजिक, वैधानिक और राजनैतिक स्तर पर पुरूषों के समान अधिकार प्राप्त हो और उन्हें हर क्षेत्र में अपनी उन्नति के बराबर अवसर प्राप्त हो।

संविधान के अनुच्छेद 14 से 16 में उन्होंने स्त्री और पुरूष में कोई भेद न मानते हुए दोनों को समानता का दर्जा प्रदान करने का प्रावधान दियाः–

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 (3) में शासकीय नौकरियों में स्त्रियों को समान अधिकार दिया गया।

अनुच्छेद 16 (2), अनुच्छेद 19 (1) में पुरूषों के समान स्त्रियों को भी स्वतंत्रता प्रदान की गई।

शोषण के विरूद्ध अधिकार के साथ उन्हें भी धर्म की स्वतंत्रता प्राप्त है। धारा 39 के अनुसार स्त्रियों के समान कार्य के लिए समान वेतन, श्रमिक स्त्रियों के स्वास्थ्य की देखभाल आदि को निश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

डॉ0 अम्बेडकर भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता थे। संविधान 'एक समाज व्यवस्था' को परिलक्षित करता है जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय और राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्रमाणित करेगा।[19]

डॉ0 अम्बेडकर ने संविधान में सभी स्त्री पुरूषों को समान अधिकार प्रदान किये है।[20] उनका विचार था कि नारी वर्ग भी अपना संगठन बनायें, अपने अधिकारों की रक्षा करें। हिन्दू समाज की स्त्रियों को अपने सम्बोधन में उन्होंने कहा– 'कोई भी पुरूष आपकी स्वतंत्रता को छीन नहीं सकता।' अपने समाज और राष्ट्र की प्रगति में योगदान दे। भारतीय संविधान के अनुसार महिलाओं ने अपने अधिकार और स्वतंत्रता का प्रयोग किया है। वैधानिक समानता और स्वतंत्रता को प्राप्त करने के बाद महिलाओं ने राजनीति के सत्ता संघर्ष में अपना स्थान बनाया है।

समाज सुधारक के रूप में दुर्गाबाई देशमुख, कमला देवी चट्टोपाध्याय, अरूणा आसफ अली इत्यादि। राजनीति के क्षेत्र में सुचेता क्रपलानी, सरोजनी नायडू, विजयलक्ष्मी पण्डित, इंदिरा गाँधी इत्यादि। वर्तमान समय में संसद में एवं राज्य विधान मंडलों में काफी संख्या में महिला सदस्य हैं। वर्तमान में राष्ट्र के सर्वोच्च पद पर राष्ट्रपति महामहिम श्रीमती प्रतिभा पाटिल, उत्तर प्रदेश की दलित मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी हैं। इसके अतिरिक्त शिक्षा, साहित्य खेल, सेना, न्याय, पुलिस, डाक्टर, इंजीनियर, प्रशासनक पायलेट एवं वैज्ञानिक आदि क्षेत्रों में महिलाएं है। आज महिलाओं ने जो प्रगति की है वह डॉ0 अम्बेडकर के संधर्ष का फल है। अतः डॉ0 अम्बेडकर का प्रयास सभी स्त्रियों की स्थिति को सुधारने में काफी हद तक सहायक रहा।[21]

उजड़े हुए गुलशन थे स्त्रियों की जिन्दगी
भीम के लहू से वह गुलजार हो गए॥

यदि आज स्त्री अपने अधिकारों को पहचाने और अधिकारों को लेने का प्रयास करें तो संभवतः हर क्षेत्र में उन्नति होगी।

फूल वही चुन पाते है, जो काटो से टकराते है,
अधिकार न मांगे मीले कभी, अधिकार तो छीने जाते है॥

संदर्भ

1. सुमन, मंजू, दलित महिलाएँ, सम्यक प्रकाशन, नई दिल्ली प्रथम संस्करण, 2004, पृष्ठ–142
2. पुजारी, विजय कुमार, डॉ0 बाबा साहब अम्बेडकर जीवन चरित्र, नागपुर, 1999, पृष्ठ–64
3. अम्बेडकर, बी.आर., हिन्दू नारी का उत्थान और पतन, महाबौद्ध जनरल, कलकत्ता, 1951 पृष्ठ–17
4. मेघवाल, कुसुम, भारतीय नारी के उद्धारकः डॉ0 बी.आर. अम्बेडकर, सम्यक प्रकाशन, 1994, पृष्ठ–55

5. अहीर, डी.सी., दी लीगेन्सी ऑफ डॉ0 अम्बेडकर, नई दिल्ली, 1999, पृष्ठ–89
6. जेलेट, ई.एन., डॉ0 अम्बेडकर एण्ड हिजमहाद मूवमेंट, बम्बई, 1969, पृष्ठ–18
7. आजाद, रामगोपाल (अनु0), डॉ0 बाबा साहब अम्बेडकर के महत्वपूर्ण भाषण एवं लेख, नागपुर, 2005, पृष्ठ–93
8. वही पृष्ठ–94
9. शास्त्री, सोहन लाल, हिन्दू कोड बिल और डॉ0 अम्बेडकर, नई दिल्ली, 2003, पृष्ठ–11
10. राय, हिमांशु, युगपुरूष बाबा साहब डॉ0 अम्बेडकर, नई दिल्ली, 1990, पृष्ठ–118
11. भाटिया, के.एल., सोशल जास्टिस ऑफ डॉ0 अम्बेडकर, नई दिल्ली, 1994 पृष्ठ–241
12. वही पृ0–243
13. सिंह, राम गोपाल, डॉ0 अम्बेडकर का सामाजिक चिंतन, जोधपुर, 1944, पृष्ठ–157
14. सहारे, एम0एल0, डॉ0 भीमराव अम्बेडकर हिज लाइफ एण्ड वर्क, नई दिल्ली 1988, पृष्ठ–169
15. शास्त्री, सोहन लाल, वही पृष्ठ–12
16. सेखरिया, एम.एस.राज, सोशल एण्ड पोलिटिकल आईडियाज ऑफ बी.आर. अम्बेडकर, जयपुर, 1977, पृष्ठ–217
17. पाण्डेय, धनपति, आधुनिक भारत का इतिहास, भाग–2 (1857–1980) नई दिल्ली, 1995, पृष्ठ–246
18. वहीं पृष्ठ–247
19. जैन, पुखराज, भारत का संवैधानिक विकास और भारतीय संविधान, दिल्ली 1973, पृष्ठ–97
20. वहीं पृष्ठ–198
21. कुरील, भीमराव, डॉ0 अम्बेडकर का शिक्षा में योगदान, सम्यक प्रकाशन, नई दिल्ली, 2010, पृष्ठ–182

Copyright © 2016 *Dr.* Neeta. This is an open access refereed article distributed under the Creative Common Attribution License which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.